संख्या-19 सं0वि0/2004-संस्कृति/2003

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव
अपर सचिव
उत्तराचल शासन ।

सेवा में

निदेशक
संस्कृति विभाग
उत्तरांचल देहरादून ।

संस्कृति अनुभागः

देहरादून दिनांक23 फरवरी 2004

विषयः- वित्तीय वर्ष 2003-04 में देहरादून में स्व0 श्री इन्द्रमणि बड़ोनी जी की प्रतिमा स्थापित किये जाने हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गढ़वाल मण्डल विकास निगम के पत्रांक-543/ई0अनु0(नौ)-22 दिनांक 24 अक्टूबर 2003 में क्रम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय देहरादून में स्व0 श्री इन्द्रमणि बड़ोनी जी की प्रतिमा स्थापित किये जाने हेतु प्राप्त आगणन रू0 8.79 लाख के विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत धनराशि रू04.91 लाख (रूपये चार लाख इक्कानबे हजार मात्र)की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2003-04 में इतनी ही धनराशि आहरित कर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2- उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आबटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय । यहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृत प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए । अतः व्यय करते समय मित व्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये शासनदेश में निहित निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

3- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमादित दरों को, जो दरे शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

4- कार्य कराने से पूमर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्रविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

6- कार्य से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

7– एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारीयों एवं भुगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशो तथा निरीक्षण निरीक्षण टिप्पणीके अनुरूप कार्य किया जाय।

9– आगणन में जिन मदों हेतु राशि स्वीकृत की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद से दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय ।

10– निर्माण सामाग्री के प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामाग्री को प्रयोगा में लाया जाय ।

11– उपरोक्त व्यय वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2003–04 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–आयोजागत–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–10–महान विभूतियों की मूर्ति स्थापना–1091–जिलायोजना–25–लघु निर्माण कार्य के आयोजनागत पक्ष के नामक मद के नामें डाला जायेगा ।

12– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–2057/वित्त अनुभाग–2/2003–2004 दिनांक– 19 फरवरी, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

संख्या– (1)संस्कृति विभाग/2003–2004 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय बिल्डिग सहारनपूर रोड़ देहरादून ।
2– निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री उत्तरांचल शासन देहरादून ।
3– श्री एल0एम0पन्त0 अपर सचिव वित्त विभाग ।
4– वरिष्ठकोषाधिकारी, देहरादून ।
5– वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन ।
6– निदेशक एन0आई0सी0 देहरादून ।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव